आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

16/10/24

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 19/2020

नसीमा खातुन बनाम जमील अहमद एवं अन्य

आदेश

अपीलार्थीणी नसीमा खातुन पति नसीम अहमद ग्राम–पिजरावाँ, थाना+अंचल–कुर्था, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल खारीज वाद संख्या 1410R27/2020 में दिनांक 19.04.2020 में अंचल अधिकारी कुर्था के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। अपील दायर करने में हुए विलम्ब पर अपीलार्थीणी के विद्वान अधिवक्ता के सुनने के उपरान्त वाद की प्रविष्टी की गई। वादगस्त भूमि निम्नवत है :–

खाता	खेसरा	रकवा	मौजा	थाना	अंचल
4	365	08.5 डी०	पिजरावाँ	कुर्था	कुर्था
15	349	07 डी०			
13	350	$1\frac{1}{2}$ डी०			
13	350	$1\frac{1}{2}$ डी०			
15	347	$2\frac{3}{4}$ डी०			
15	349	07 डी०			
15	349	06 डी०			
17	524	$5\frac{1}{2}$ डी०			
17	524	$6\frac{3}{4}$ डी०			
38	539	$5\frac{3}{2}$ डी०			
38	538	$15\frac{1}{4}$ डी०			
2	545	27 डी०			
25	543	$6\frac{1}{2}$ डी०			
25	567	$3\frac{1}{2}$ डी०			
38	569	3 डी०			
487	911	$23\frac{1}{2}$ डी०			
487	908	16 डी०			
	912	19 डी०			

उतरवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया उतरवादीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) क्यामुदीन को तीन पुत्र है एकरामुल हसन, स्व0 मंजरूल हसन एवं जीमल अहमद एवं दो पुत्री नसीमा खातुन और नौशबा खातुन हुई जो उनके विधिक उतराधिकारी है।

(2) उतरवादी ने कहा है कि उनके पिता क्यामुदीन ने अपने जीवन काल में हीं अपने सारी सम्पति मंजरूल हसन एवं जीमल अहमद एवं 1.5 कठा जमीन अपीलार्थी नसीमा खातुन को वसीयत कर दी।

(3) किन्तु वसीयतनामा जाली है और उसका प्रोवेट अभी तक नहीं हुआ है। बगैर प्रोवेट आदेश के वसीयत का कोई महत्व नहीं है।

(4) वसीयतनामा से अपीलार्थी नसीमा खातुन को 1.5 कठा का जमीन अपीलार्थी को दिया गया है लेकिन क्यामुदीन का सारी सम्पति को उतरवादीगण दोनों भाई मिलकर अपने नाम से नामांतरण करा लिये है।

(5) अंचल अधिकारी कुर्था के द्वारा दाखिल खारीज वाद में जिस तिथि को आदेश पारित हुआ था उस तिथि को मंजरूल हसन की मृत्यु हो चुकी थी।

(6) सब जज तृतीय अरवल के न्यायालय में बंटवारा वाद संख्या 21/2019 चल रहा है।

(7) अंचल अधिकारी कुर्था द्वारा बिना नोटिस किये एवं बिना सहमति प्राप्त किये सारी सम्पति को दोनो भाईयों के नाम से नामांतरन का आदेश कर दिया गया जो गलत एवं खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल खारीज वाद संख्याा 1411R27/2020 में अंचल अधिकारी कुर्था के के पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उतरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) मजरूल हसन और जीमल अहमद ने निबंधित बॉटवारा वसीका से दिनांक 31.10.2019 को भूमि बॉट लिये।

(2) उतरवादीगण का वंशावली निम्न है :–

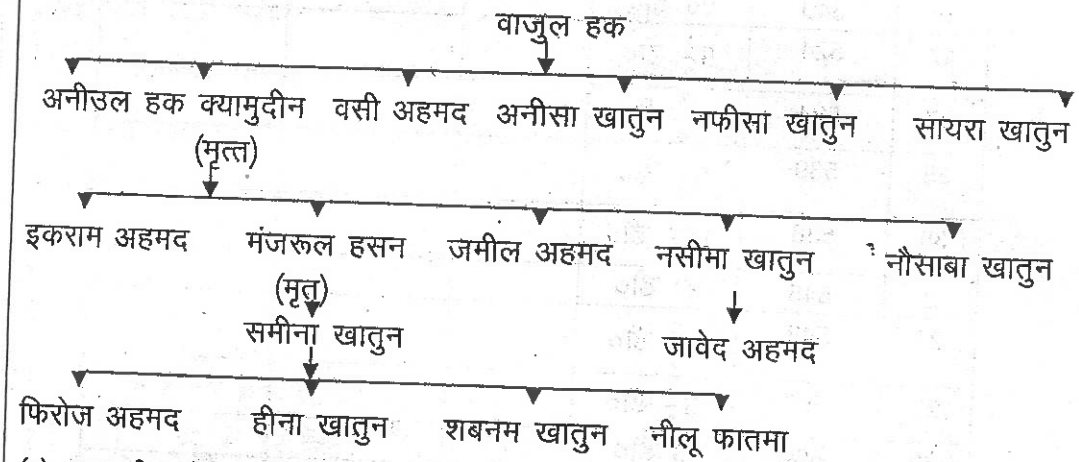

(3) क्यामुदीन ने अपनी जीवन में सारी सम्पति को फेमिली एग्रीमेंट कर दिये थे। उन्होने $1\frac{1}{2}$ कठा भूमि नसीमा खातुन को मकान बास्ते दिया था। मो0 जावेद नसीमा खातुन का पुत्र है। मो क्यामुदीन ने दिनांक 12.10.1994 को फैमिली एग्रीमेंट तैयार किया था जिसपर क्यामुदीन एवं गवाह मो0 युसुफ मलीक, हिमांयु अख्तर, समसुल बारा का हस्ताक्षर अंकित है और सभी गवाह मर चुके है। भूस्वामी के मरने के बाद सभी को हक मुस्लिम कानुन के तहत प्राप्त है। क्यामुदीन को अपनी प्राप्त भूमि में हर तरह का मामला करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार

[illegible] तयार कर अपने परिवार के बीच अपनी सभी सम्पति एवं मकान का बॅटवारा किया। मंजरूल हसन को मकान और जमीन प्राप्त हुआ और आधा सम्पति मो० जमील अहमद को दिया गया।

(4) पिता के जीवन काल में पुत्र--पुत्री को कोई उतराधिकार के आधार पर हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

(5) अंचल अधिकारी कुर्था के समक्ष मंजरूल हसन एवं जमील अहमद दोनो उपस्थित थे और दोंनों अपनी बाते अंचल अधिकारी, कुर्था समक्ष रखा एवं सुनवाई पश्चात् अंचल अधिकारी, कुर्था द्वारा आदेश पारित किया गया।

(6) नसीमा खातुन ने 1.5 कढटा जमीन का दाखिल खारीज करने हेतु अंचल अधिकारी, कुर्था के समक्ष आवेदन देती है तो इसपर उतरवादीगण को कोई आपति नही है।

(7) नसीमा खातुन को क्यामुदीन द्वारा छोड़ी गई भूमि में कोई अधिकार नही है।

(8) मो0 क्यामुदीन ने अपने जीवन काल में $1\frac{1}{2}$ कठा भूमि नसीमा खातुन को दिया और अब उनकी कोई अधिकार हिस्सेदारी मांगने की नहीं है।

(9) अंचल अधिकारी कुर्था के द्वारा दाखिल खारीज की सारी प्रक्रिया करने के वाद दाखिल खारीज किया है जो सही एवं सत्य है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उभय पक्ष को सुना। वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। क्यामुदीन को तीन पुत्र एवं दो पुत्रियॉ थी– एकरामुल हसन, स्व0 मंजरूल हसन एवं जमील अहमद एवं दो पुत्री नसीमा खातुन और नौसाबा खातुन। क्यामुदीन ने नसीमा खातुन को $1\frac{1}{2}$ कठा भूमि मकान हेतू दिया था। भू--स्वामी के मरने के बाद सभी को विरासती हक मुस्लिम कानुन के तहत प्राप्त है। पिता के जीवन काल में उतराधिकारी को हिस्सा प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। जन्म के आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जन्म से ही किसी व्यक्ति को पिता की सम्पति में उतराधिकार के आधार पर हिस्सा प्राप्त नही हो जाता है।

उतरवादी का कहना है कि वसीयतनामा जाली है जिसका प्रोवेट अीभ तक नहीं हुआ है। क्यामुदीन की सारी सम्पति को दोनों भाई मंजरूल हसन और जमील अहमद ने अपने नाम से नामांतरण करा लिये है। अंचल अधिकारी कुर्था के पारित आदेश के तिथि को मंजरूल हसन की मृत्यु हो चुकी थी। सब जज तृतीय अरवल मे न्यायालय में बंटवारा वाद संख्या 21/2019 लंबित चल रही है।

राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित जमीन का जमाबंदी हिस्सेदार के पिता के नाम जमाबंदी रजिस्टर में दर्ज है। यह जमीन खाता 38 वकास्त खाता

की है और सभी भूमि रैयति खाता की हैं। जमीन का नामांतरण दो हिस्सा से होता है और बंटवारा कोर्ट से होकर आता है। जमीन हिस्सेदार के कब्जा में है सूचना निर्गत कर दाखिल खारीज किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, कुर्था द्वारा बंटवारा वाद संख्या 21/2019 सब जज प्रथम अरवल के न्यायालय में लंबित रहते हुए दाखिल खारीज वाद संख्या 1411R27/19-20 में दिनांक 22.04.2020 को आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी कुर्था द्वारा हिस्सेदारी का कोई खास या आम सूचना निर्गत नहीं किया गया एवं न हीं सहमति प्राप्त की गई है। केवल मंजरूल हसन और जमील अहमद के आवेदन पर दाखिल खारिज किया गया है। जबकि दाखिल खारिज करने के पहले सभी हिस्सेदारो को नोटिस निर्गत कर सहमति प्राप्त करना चाहिए था। तथापि कि मुस्लिम लॉ में उल्लेखित है कि पिता के जीवन काल में पुत्र–पुत्री का उतराधिकारी का हक नहीं होता है। किन्तु मो0 क्यामुदीन, पिता मो0 वाजुल हक द्वारा सादा वसीयतनामा किया गया जिसमें उन्होने डेढ़ कटटा जमीन अपने नवाशा जावेद को राजी खुशी दिया एवं शेष सारी जमीन अपने दो पुत्रों में बराबर–बराबर बॉट दिया। ऐसी स्थिति में वसीयतनामा का प्रोवेट होना आवश्यक हो जाता है किन्तु वर्तमान मामले में प्रोवेट नहीं किया गया है। बिना प्रोवेट के सादा वसीयतनामा का मान्यता शुन्य है। ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का प्रश्नगत् भूमि में हित निहित नही है। साथ ही बॉटवारा वाद संख्या–21/2019 सब जज प्रथम अरवल के न्यायालय में पूर्व से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी कुर्था के दाखिल खारिज वाद संख्या 1411R27/19-20 में पारित आदेश को विखंडित किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, कुर्था को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

16/3/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

16/3/2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।